<u>प्रथम सूचना रिपोर्ट</u>

1.जिला गुडगांव थाना एस.वी.बी वर्ष 2014 प्र.सू.रि.स 2 दिनांक 6.1.2015

2.अधिनियम पी.सी एक्ट धाराएं 7 पी.सी एक्ट

अन्य अधिनियम एंव धाराएं – – – – – –– –

(क) घटना का दिन मंगलवार दिनांक से दिनांक 6.1.15

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना दिनांक 6.1.2015 समय 3.30 पी.एम

(ग) (रोजनामचा संदर्भ) (प्राविष्टि संख्या) 4 समय 3.35 पी.एम

4.(सूचना कैसे प्राप्त हुई) बजरिया सपैषल मैसेंजर (लिखित/मौखिक) : लिखित

5. घटना स्थन का ब्यौरा (क) (थाने से दिषा एंव दूरी) पूर्व – दक्षिण लगभग 55/56 कि0मी0

(ख) पता : बदरोला

(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस) (उस थाने का नाम) तिगांव

6. (शिकायतकर्ता/इतला देने वाला) :–

(क) नाम : भंवर सिंह (ख) (पिता/पति का नाम) श्री चेतराम

(ग) (जन्म तिथि) (घ) (राष्ट्रीयता) भारतीय

(ड) पासपोर्ट सं0

(जारी करने की तिथि) (जारी करने का स्थान)

(च) (व्यवसाय) बिजनैस (पता)

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

किशन सिंह एल.डी.सी,
बिजली दफतर बदरोला

इस समय एक तहरीर हस्ताक्षरी श्री समर्थ सिंह निरीक्षक रा0चौ0ब्यूरो फरीदाबाद बदस्त सि0 रोशन लाल 1108/फरीदाबाद बराये कायमी मुकदमा थाना हजा में प्राप्त हुई जिसका विषय इस प्रकार से है, '' सेवा में विजिलैसं इन्सपैक्टर फरीदाबाद श्रीमान जी, निवेदन है कि मै भंवर सिंह सपुत्र श्री चेतराम ग्राम मंधावली

(तिगांव) फरीदाबाद का रहने वाला हूॅ। मैने अपने ग्राम में एक वर्कशाप लगा रखा है जिसमें एक थ्री फैस का मीटर लगा है जिसका दिसम्बर महा का बिल 12713/–रू आया हुआ है जो मीटर रीडिगं के हिसाब से सही नही है, जिसको मैने एस.डी.ओ बदरोला से निवेदन करके 10636/–रूपये एंडजस्ट करवाया लिया है, जिसका बिल में से कम करने के लिए एल.डी.सी किशन सिंह बिजली दफतर बदरोला 5000/–रू की रिश्वत मांग रहा है जो कहने पर अब 2000/– रूपये में राजी हो गया है जो मै यह रिश्वत की राशि देना नही चाहता और एल.डी.सी किशन सिंह, बिजली दफतर बदरोला बिना रिश्वत लिए मेरा काम नही करेगा, एल.डी.सी से मेरी कोई जाति दुश्मनी नही है और ना ही मेरा पैसे का लेन–देन नही है। एल.डी.सी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये, बिल व एडजस्टमैन्ट के कागजात की फोटो कापी साथ सलग्न है। प्रार्थी हस्ता अग्रेंजी भंवर सिंह सपुत्र श्री चेतराम गांव मंधावली (तिगांव) दि0 6.1.2015 कार्यवाही पुलिस :– आज मन निरीक्षक मय स्टाफ के हाजिर कार्यालय एस.वी.बी फरीदाबाद हूॅ कि मुस्मी भंवर सिंह सपुत्र श्री चेतराम निवासी गांव मंधवावली ने हाजिर कार्यालय आकर उपरोक्त लिखित दरखासत मन निरीक्षक को पेश की जो मजबून दरखासत से सूरत जुर्म 7 पी.सी एक्ट का सरजद होना पाया जाने पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदसत सि0 रोशन लाल न0 1108/फरीदाबाद के थाना एस.वी.बी गुडगांव भेजी जा रही है तथा मन निरीक्षक एक रैडिगं पार्टी तैयार करके जिसमें उप नि. दलबीर सिंह, ई.ए.एस.आई सहदेव 1629/फरीदाबाद को शामिल करके बा सवारी गाडी सरकारी टाटा सूमो न0 एच.आर 68–8353 चालक सि0 जुबेर खांन न0 369/पलवल मय तफतीशी बैग, मय मुदई के बराये लेने अनुमति रैड वा नियुक्त कराने ड्यूटी मैजिस्ट्रेट उपायुक्त कार्यालय फरीदाबाद का रवाना होता हूॅ। बाद कायमी मुकदमा पर्चा नम्बर से सूचित करे व स्पैशल रिपोर्ट बजरिया स्पैशल मैसंजर ईलाका मैजिस्ट्रेट व अफसरान बाला को भिजवाई जावे। हस्ता : अग्रेंजी समर्थ सिंह, निरीक्षक, रा0चौ0ब्यूरो फरीदाबाद दिनांक 6.01.2015 एट 1.15 पी.एम. रा0चौ0ब्यूरो फरीदाबाद। अज थाना :– आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकूर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया एफ.आई.आर की पांच प्रतियां बजरिया कार्बन एक ही समय में चाक की गई जो सेवा में ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला को भेजी जा रही है। आमदा तहरीर मय हसल मिसल मिसल पुलिस मय स्पैशल रिपोर्ट पहंचाने के लिए आरिन्दा सिपाही रोशन लाल न0 1108/फरीदाबाद के हवाले की गई।

हस्ता अग्रेंजी/– जगदीश चन्द्र
थाना प्रभारी का नाम
नाम : जगदीश चन्द्र
पद : निरीक्षक
सख्यां : 141/एच.ए.पी
दिनांक 06.01.2015 समय 5.00 पी.एम